उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-8

संख्या- 17/2021/2278/23-8-2021

लखनऊ : दिनांक: 27 दिसम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 50 वर्ष से अधिक आयु के अधिशासी अभियन्ताओं की स्क्रीनिंग के संबंध में दिनांक 15.11.17 को सम्पन्न स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में निर्धारित मापदण्ड एवं तद्क्रम में पुन: दिनांक 16.07.2019 को सम्पन्न स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-9/2020/1565/23-8-2020-40(पी0डब्ल्यू) अधि/17, दिनांक 09.10.2020 द्वारा श्री देवपाल (ज्येष्ठता क्रमांक-2102), अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मिर्जापुर को आदेश निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गयी थी।

2- शासन के उक्त आदेश के विरूद्ध श्री देवपाल, अधिशासी अभियन्ता (अनिवार्य सेवानिवृत्त) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-ए-9958/2020 देवपाल बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2020 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये:-

> .....I have considered rival submissions advanced by learned counsel for the parties and perused the facts. Facts of the case are not disputed.
>
> Impugned order of compulsory retirement dated 09.10.2020 has been passed on the recommendation of Screening Committee based upon three punishments, which are either stayed or quashed by the Tribunal. Screening Committee as well as Competent Authority has not considered the aforesaid facts, therefore, impugned order is bad in the eye of law and is hereby set aside.
>
> Accordingly, writ petition is allowed.
>
> No order as to costs.
>
> However, it is open for the respondents to pass fresh order in accordance with law, if something is found against the petitioner.

3- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 18.12.2020 के विरूद्ध शासन द्वारा योजित विशेष अपील संख्या-67/2021 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम देवपाल मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2021 द्वारा खारिज कर दी गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2021 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

> In view of the above, as the adverse material i.e. orders on the basis of which the Screening Committee submitted its report has either been set aside or stayed by the Tribunal and there was no consideration by the Screening Committee of the aforesaid development, the order impugned calls for no interference.
>
> The appeal is dismissed.

4- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2021 द्वारा संदर्भित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अपील संख्या-67/2021 निरस्त किये जाने के फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2020 के अनुक्रम में श्री देवपाल के परिवर्तित सेवा अभिलेखों के आधार पर पुनर्विचार हेतु दिनांक 29.09.2021 को सम्पन्न स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में श्री देवपाल के सेवा अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि वर्तमान में श्री देवपाल के विरूद्ध मात्र 02 दण्डादेश विद्यमान है, जिनमें से 01 दण्डादेश दिनांक 27.07.2009 को मा0 अधिकरण द्वारा निरस्त किया जा चुका है और दूसरे दण्डादेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक 30.08.2012 को मा0 अधिकरण द्वारा स्थगित किया जा चुका है। यद्यपि उक्त दण्डादेशों के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, किन्तु उक्त स्थिति में सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में 50 वर्ष से अधिक आयु के अधिशासी अभियन्ताओं की स्क्रीनिंग के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 15.11.17 में स्क्रीनिंग हेतु निर्धारित मानक से श्री देवपाल का प्रकरण आच्छादित नहीं होता है।

5- उक्त के परिप्रेक्ष्य में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा रिट याचिका संख्या-9958/2020 देवपाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.12.2020 के अनुपालन में श्री देवपाल के परिवर्तित सेवा अभिलेखों के आलोक में श्री देवपाल के अनिवार्य सेवानिवृत्ति विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-9/2020/ 1565/23-8-2020-40(पीडब्ल्यू)अधि/17, दिनांक 09.10.2020 को निरस्त करते हुए श्री देवपाल, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को सेवा में पुनर्स्थापित करने की संस्तुति की गयी।

6- अतः रिट याचिका संख्या-ए-9958/2020 देवपाल बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.12.2020 के अनुपालन में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 29.09.2021 में की गयी संस्तुति के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त श्री देवपाल (ज्येष्ठता क्रमांक-2102), तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की अनिवार्य सेवानिवृत्ति विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-9/2020/1565/23-8-2020-40(पी0डब्ल्यू) अधि/17, दिनांक 09.10.2020 को निरस्त कर एतद्द्वारा उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित किया जाता है।

7- श्री देवपाल द्वारा कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में योगदान आख्या प्रस्तुत किया जायेगा एवं इनकी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को अपने स्तर से उपलब्ध करायेंगे।
3- स्टाफ आफिसर, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4- अधीक्षण अभियन्ता (अधि0), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली।
6- संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- लोक निर्माण अनुभाग-3/4/6/13
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अच्युतानन्द)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।